छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010
(फाल्गुन-5, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 तथा 11 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामपुकार सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 07 एवं 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

3.पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने-

(1) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, तथा

(2) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 (1 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009)

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रामजी भारती, सदस्य ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भैयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने राजनांदगांव शहर के मध्य से गुजरने वाली नेशनल हाइवे क्रमांक-6 पर फोरलेन निर्माण का कार्य मनमाने तरीके से किये जाने से लोगों को हो रही असुविधा की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने ग्राम पंचायत सेरीखेडी जिला रायपुर में अवैध उत्खनन किये जाने,

(2) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने बाराद्वार से जैजेपुर होकर हसौद तक सड़क जर्जर स्थिति में होने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम भिलाई में खराब हैण्डपंप लगाये जाने,

(4) श्री खेदूराम साहू, सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की जाना, तथा

(5) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने विकासखंड खुज्जी अंतर्गत हाट बंजारी से घोटिया पहुंचमार्ग के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी।

6. वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री राजूसिंह ठाकुर,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, दूजराम बौद्ध, वीरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्री राजकमल सिंघानिया,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतोष बाफना, अमरजीत भगत, रविशंकर त्रिपाठी, लखमा कवासी, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री नारायण चंदेल,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सभा के समय में 6.30 बजे सायं तक वृद्धि की घोषणा की।)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री भीमा मण्डावी, भजन सिंह निरंकारी,

7. बधाई

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री सचिन तेंदुलकर के द्वारा नाबाद 200 रन बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर सदन की ओर से उन्हें बधाई दी गई।

8. वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री फूलचंद सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से श्री फूलचंद सिंह, सदस्य के अलावा श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह एवं श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्रीमती लक्ष्मी बघेल।

सायं 6.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 25 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा